भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2589

उत्तर देने की तारीख : सोमवार 17 मार्च, 2025

26 फाल्गुन, 1946 (शक)

सांस्कृतिक संपति समझौते के माध्यम से वापस लाई गई कलाकृतियां

2589. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :

श्री पी. पी. चौधरी :

श्रीमती अपराजिता सारंगी :

डॉ. के. सुधाकर :

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दशक के दौरान लूटी गई अथवा चोरी की गई कितनी कलाकृतियों को विभिन्न देशों से वापस लाया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अन्य देशों, निजी संग्रहकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों से और अधिक भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए किन्हीं समझौतों की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत और अमरीका के बीच पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए हुए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के अंतर्गत लूटी गई अथवा चोरी की गई कितनी कलाकृतियों को वापस लाए जाने की संभावना है;

(घ) उन्हें वापस लाने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की चुराए गए पुरावशेषों को पुनः प्राप्त करने के अपने प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अथवा अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस समझौते में विरासत संरक्षण, संग्रहालय संबंधी आदान–प्रदान अथवा सांस्कृतिक संरक्षण में तकनीकी प्रशिक्षण के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का प्रावधान शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) छत्तीसगढ़ के किन-किन प्रमुख सांस्कृतिक अथवा धार्मिक स्थलों से अब तक कलाकृतियों की चोरी हो चुकी है;

(ज) क्या इन कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करने और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ञ) क्या सरकार पूजा हेतु और अधिक पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) : पिछले दशक के दौरान, विभिन्न देशों से कुल 642 पुरावशेष प्राप्त किए गए हैं।

(ख) से (घ) : ऐसा कोई समझौता विचाराधीन नहीं है तथापि, भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौता (सीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसे कि इस समझौता के निवारक प्रकृति के होने के कारण ऐसी कोई संख्या लक्षित नहीं की गई है।

(ड.) : भारत, आवश्यकता के अनुसार यूनेस्को और इंटरपोल सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है।

(च) : सांस्कृतिक संपत्ति समझौते में तकनीकी सहायता, अवैध व्यापार और सांस्कृतिक संपत्ति की लूट के मामलों में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

(छ) : छत्तीसगढ़ से कुल 27 पुरावशेष चोरी हुए हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा **'अनुबंध-क '** में दिया गया है।

(ज) और (झ) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्मारकों, स्थलों और पुरावशेषों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नियमित निगरानी और पहरा कर्मचारियों के अलावा, आवश्यकता के अनुसार निजी सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। जब भी किसी पुरावशेष की चोरी की रिपोर्ट मिलती है तो संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है और चोरी किये गए पुरावशेष को प्राप्त करने और इसके अवैध निर्यात को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित सीमा निकासी चैनलों को 'लुक आउट नोटिस' जारी किया जाता है।

(ञ) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध-क

लोकसभा में दिनांक 17. 03. 2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2589 के भाग (छ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्रीय संरक्षित स्मारकों से चोरी किए गए पुरावशेषों का ब्यौरा

क्रं.सं.	ब्यौरा	चोरी की तारीख	मामले का ब्यौरा/एफआईआर	टिप्पणी
1.	लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, जिला-महासमुंद से बैठे हुए नाग देवता की एक प्रतिमा जिसे स्थानीय लोगों द्वारा लक्ष्मण मूर्ति के नाम से जाना जाता है	13/10/2005	एफआईआर दर्ज किया गया एफआईआर सं. 249/05. दिनांक- 14/10/2005	चोरी की गई मूर्ति को छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर बरामद किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया
2.	सिरपुर, जिला-महासमुंद के पद्मपाणि मठ के उत्खनन स्थल से बैठी हुई हारिती की पत्थर की मूर्ति	22-23/6/2005	एफआईआर दर्ज किया गया एफआईआर सं.155/05 दिनांक- 23/6/2005	चोरी की गई मूर्ति को छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर बरामद किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया
3.	नृत्य मुद्रा में एक शिव (नटराज) और एक बैठे हुए ब्रह्मा, महादेव मंदिर, पाली, जिला-कोरबा	31/08/2012 और 01/09/2012 इंनेर्विंग नाईट	एफआईआर दर्ज किया गया एफआईआर सं.188/12 दिनांक.01/09/2012	बरामद नहीं किया जा सका
4.	तिवर्देव मठ, सिरपुर, जिला-महासमुंद से खुदाई की गई व्यापारी की मूर्ति	17/03/2013	एफआईआर दर्ज किया गया एफआईआर सं.336 दिनांक- 18/03/2013	बरामद नहीं किया जा सका
5.	एक भैरव की मूर्ति, भैरव बाबा मंदिर, दांतेवाड़ा और एक भैरव की मूर्ति, खंडहर मंदिर, जियापारा, दांतेवाड़ा, जिला-दांतेवाड़ा	06/07/2016 और 07/07/2016 इंनेर्विंग नाईट	एफआईआर दर्ज किया गया एफआईआर सं. 63/16 दिनांक- 07/07/2016	बरामद नहीं किया जा सका

पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार चोरी किये गए पुरावशेषों का ब्यौरा

क्रं. सं.	ब्यौरा	चोरी की तारीख	मामले का ब्यौरा /एफआईआर	टिप्पणी
1.	वैष्णवी, अर्धनारीश्वर और चार भुजाओं वाले शिव की मूर्तियाँ, दीपाडीह (शंकरगढ़) जिला-सरगुजा, राज्य संरक्षित स्थल	08-09/01/2003	08-09/1/2003/ प्रा.क्रा 3/03 दिनांक- 9/1/2003	बरामद नहीं किया जा सका
2.	गरुडासीन विष्णु भगवान (पंजीकृत), सिरपुर (तुमगांव) जिला-महासमुंद, असंरक्षित स्थल	08-09/06/2001	08-09/6/2001/ प्रा.क्रा.74/2001 दिनांक- 09/06/2001	बरामद नहीं किया जा सका
3.	पार्वती, दुल्हारा (रतनपुर), जिला-बिलासपुर असंरक्षित स्थल	14-15/01/2003	14-15/1/2003/ प्रा.क्रा.14/03 दिनांक- 15/01/2003	बरामद किया गया (21/11/2005)
4.	गरुड़ (भंवर गणेश), पाली (मस्तुरी), जिला-बिलासपुर, असंरक्षित स्थल	26-27/01/2004	26-27/01/2004/ प्रा.क्रा.30/04 दिनांक- 27/01/2004	बरामद किया गया (14/02/2003)
5.	गरुड़ (भंवर गणेश), पाली (मस्तुरी), जिला-बिलासपुर, असंरक्षित स्थल	20-21/04/2006	20-21/04/2006/ प्रा.क्रा.123/06 दिनांक- 21/04/2006	बरामद किया गया (12/03/2007)
6.	ब्रह्मा, किरारी गोधी (बिल्हा), जिला-बिलासपुर, असंरक्षित स्थल	17/07/2005	17/7/2005/ प्रा.क्रा.56/2005 दिनांक- 17/07/2005	-
7.	विष्णु भगवान, किरारीगोधी (बिल्हा), जिला-बिलासपुर, असंरक्षित स्थल	09-10/11/2006	09-10/11/ प्रा.क्रा.157/2006 दिनांक- 10/11/2006	बरामद नहीं किया जा सका
8.	सूर्य भगवान (मोती बरहिया), कलचा (उदयपुर), जिला-सरगुजा, राज्य संरक्षित स्थल	24-25/03/2007	24-25/3/2007/ प्रा.क्रा.20/2007 दिनांक-	बरामद नहीं किया जा सका

			25/03/2007	
9.	मावली माता (राजपुरुष), रामपुर (बलोदाबाजार), जिला-बलोदाबाजार असंरक्षित स्थल	-	प्रा.क्रा. 29/04	बरामद किया गया (16/02/2004)
10.	चंडी (जैन तीर्थंकर), चौहा (मस्तुरी), जिला-बिलासपुर असंरक्षित स्थल	27-28/06/2010	27-28/6/2010	-
11.	चौहा (मस्तुरी), जिला-बिलासपुर असंरक्षित स्थल	-	218/1996	-
12.	महावीर स्वामी गणेश, बाघनदी जिला-राजनंदगांव असंरक्षित स्थल	16/07/2005	प्रा.क्रा.69/05 दिनांक- 16/07/2005	बरामद किया गया (16/07/2005)
13.	गरुड़ (शिव की मूर्ति), गरहसिवानी (टुमगांव) जिला-महासमुंद असंरक्षित स्थल	20-21/12/2006	20-21/12/2006/ प्रा.क्रा.306/06 दिनांक- 21/01/2006	बरामद नहीं किया जा सका
14.	शिवलिंग, महेशपुर (उदयपुर), जिला-सरगुजा उत्खनन स्थल	20/08/2009	20/8/2009/ प्रा.क्रा.108/2009 दिनांक- 20/08/2009	बरामद किया गया
15.	हरिहर, महेशपुर (उदयपुर), जिला-सरगुजा उत्खनन स्थल	21-22/03/2011	21-22/3/2011/ प्रा.क्रा.35/2011 दिनांक- 25/03/2011	बरामद नहीं किया जा सका मामला समाप्त (26.05.2011)
16.	उमा-महेश्वर (03 संख्या), महेशपुर (उदयपुर), जिला-सरगुजा उत्खनन स्थल	08-09/02/2013	08-09/2/2013/ प्रा.क्रा.27/2013 दिनांक- 09/02/2013	बरामद नहीं किया जा सका

*****